जा रहे हैं उनके बाकी काम को पूरा करने की गति तेज की जा रही है।

(2) खनन हेतु भूमि अधिग्रहण का काम संबद्ध राज्य सरकारों और विशेषत: बिहार और बंगाल की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और उनकी सहायता से तेज किया जा रहा है।

(3) कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा औद्योगिक संबंध स्थिति में सुधार के लिये संबद्ध राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाये रखना।

(4) कोयले के उत्पादन, उत्पादकता और संरक्षण में सुधार के लिये उद्देश्य से खानों में बेहतर खनन प्रौद्योगिकी के लिये विदेशों से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

मजदूरों को विदेश भेजने में कथित भ्रष्टाचार

270. श्री मोती भाई आर० चौधरी :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब परुलेकर :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में मजदूरों को विदेशों में भेजने में व्याप्त घोर-भ्रष्टाचार के मामले बार-बार आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पद्धति में मौजूदा भ्रष्टाचार को समूल विनाश करने के लिये क्या नये कदम उठाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार मजदूरों को विदेशों में भेजने के लिये बनाई गई पद्धति को और आसान बनाने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भरती एजेंटों और नियोजकों द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं का अनुसरण किये जाने की घटनायें समय-समय पर सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) और (ग). उत्प्रवास की वर्तमान प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च, 1979 में निर्धारित की गई थी। जब उत्प्रवास को विनियमित करने संबंधी नया कानून संसद द्वारा पारित कर दिया जायगा, तो इस प्रक्रिया का स्थान एक संशोधित प्रक्रिया ले लेगी। इस विधान के लंबित रहने तक सरकार ने विदेशों में रोजगार की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिये कदम उठाये हैं ताकि वे भरती के क्षेत्र में विद्यमान भ्रष्ट तत्वों के भ्रष्ट व्यवहार का शिकार न हो जायें। उठाये गये इन कदमों में "क्या करना चाहिये" और "क्या नहीं करना है" के बारे में आकाशवाणी द्वारा प्रचार, रोजगार के देशों में कामकाज और रहन सहन की दशायें और प्रत्याशित मजदूरी दर्शाने वाली पुस्तिकाओं का परिचालन, दूर दर्शन पर उत्प्रवास प्राधिकारियों के साथ भेंटवार्ता, रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के लिये अपेक्षित मुख्य सूचना के बारे में न्यूजरील का निर्माण, इत्यादि शामिल है।

(घ) वर्तमान प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जब उत्प्रवास को विनियमित करने संबंधी नया कानून लागू हो जायगा, तो उसे प्रतिस्थापित कर दिया जायगा।